मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा यमुना नदी लॉट नं–23/2 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10.09.2014 (अपरान्ह 2.00 बजे) स्थान राजकीय इण्टर कॉलेज, बाड़ावाला, विकास नगर, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा जाखन नदी लॉट नं–23/2 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में राजकीय इण्टर कॉलेज, बाड़ावाला, विकास नगर, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उक्त लोक सुनवाई एक ही स्थान पर होने के कारण स्थानीय निवासियों की मांग पर प्रातः 12.00 प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा यमुना नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान टाईम्स व टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 16.06.2014 व संशोधित तिथि 10.09.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी

भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 31.203 है0 है। जो कि ग्राम डुमेट, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री अंकित राणा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 4.11 लाख के वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री रोहित सिंह पुण्डीर, निवासी बाड़ावाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और नदियों में खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि खनन से पूर्व नदियों का सीमांकन किया जाना चाहिए एवं मानचित्र में अन्य ग्राम सभा को भी रेखांकित किया जाए, जिससे उन ग्राम सभाओं को भी लाभ मिल सके।

2. **श्रीमती बाला चौहान (ग्राम प्रधान) निवासी अम्बाड़ी** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि हमारी ग्राम सभा अम्बाड़ी को भी शामिल किया जाए, जिससे हमारी ग्राम सभा को भी खनन का लाभ मिले तथा ग्रामसभा की भूमि पर होने वाले खनन का 10 प्रतिशत भाग ग्राम सभा को विकास कार्यों हेतु मिलना चाहिए।

3. **श्री प्रभुदयाल शर्मा, निवासी बाड़ावाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि नदी में खनन कार्य होना अति आवश्यक है। नदी का स्तर ऊंचा हो जाने के कारण बाढ़ से कृषि भूमि का कटाव हो रहा है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कटा पत्थर से डाकपत्थर तक नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध बनने चाहिए, जिससे बाढ़ से नुकसान न हो सके। साथ ही कहा गया कि निजी भूमि पर खनन की अनुमति मिलनी चाहिए।

4. **श्री संदीप चौहान, निवासी कटा पत्थर** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया कहा गया कि नदियों में खनन से पूर्व खनन के लाभांश का 15 प्रतिशत भाग ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए, जिसका प्रयोग ग्राम सभा के विकास के लिये जा सके। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी का तल ऊंचा हो गया है, इसलिए खनन की गहराई 5 से 6 मीटर तक होनी चाहिए।

5. **श्री बलबीर सिंह चौहान, निवासी बाड़ावाला** द्वारा कहा गया कि वन विभाग द्वारा खनन वाहन की रू0 200/– की पर्ची काटी जाती है, जबकि खनन कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, उसको भी रायल्टी दी जाती है। खनन से पूर्व खनन सामग्री के वाहनों हेतु शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए।

6. **श्री आनन्द सिंह तौमर (ग्राम प्रधान), निवासी लांघा** द्वारा कहा गया खनन कार्य से मिलने वाले लाभांश का लाभ किन–किन ग्राम सभाओं को मिलेगा? उनके द्वारा कहा गया कि ग्राम सभा के विकास, स्वास्थ्य, सड़कों की मरम्मत, वृक्षारोपण आदि के लिये गढ़वाल मण्डल विकास निगम के क्या मानक होंगे?

7. **श्री सरदार सिंह तौमर, निवासी कटा पत्थर** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुकम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुकम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससें पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून

यमुना नदी लॉट नं. 28/2 में चुगान हेतु दिनांक 10/09/2014 समय अपरान्ह 2.00 बजे स्थान राजकीय इण्टर कालेज बाड़वाला, विकास नगर, जनपद देहरादून में चुगान / खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका—

क्र०सं०	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
(1)	श्री प्रताप सिंह शाह (Admn.)	जिला प्रशासन देहरादून	9756665565	
(2)	श्री सुभाष पंवार (अ० अभि०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9410293545	
(3)	श्री सुनील डबराल (अनु० सहा०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9633837020	
(4)	अर्जुन सिंह	जिला पंचायत सदस्य (अम्बाड़ी)	8057000[illegible]	
(5)	रोजान सिंह पवार	पूर्व प्रधान ग्राम अम्बाड़ी	9411172055	
6	विजय कुमार	प्रधान प्रतिनिधि - बाड़वाला	9756534545	
7	रोहित पुण्डीर	पूर्व उपप्रमुख प्रमुख - वि. नगर निवासी - बाड़वाला	9412903317	
8	विवेक शर्मा	डाकपत्थर	7351101010	
9	अय्यूब अली	अम्बाड़ी	9760752496	
10	जितेन्द्र कुमार	अम्बाड़ी	9410368198	Jitendra
11	मुकेश चौधरी	अम्बाड़ी	9627124533	

12	बाला चौहान	प्रधान अरवाडी	9411714291	Bhaskar
13	वीरेन्द्र सिंह चौहान	ग्राम अरवाडी	9720173244	Virendra
14	अनिल कुमार	क्षेत्र पंचायत अरवाडी	8006018665	[signature]
15	सुगनचन्द	ग्रामपंचायत सदस्य अरवाडी	8755438228	[signature]
16	ज्ञानसिंह	उड़ कुकड़	9411190221	[signature]
17	गि.रा.शि. चन्द	कांडवाला	8869005052	[signature]
18	जन्दीप	कटापत्थर	9412151658	[signature]
19	महेन्द्र सिंह तोमर	कुंडूट	941175/086	[signature]
20	आदित	बाड़वाला	9411396491	[signature]
21	रतन सिंह चौहान	अरवाडी	9458381385	[signature]
22	सुरेन्द्र सिंह	अरवाडी	8126295941	[signature]
23	मुकेश कुमार	हरिवाला	7895530785	[signature]
24	Virendra singh	Katapather	9917964926	V singh
25	अमित तोमर	बाडवाला	9927390800	[signature]
26	Mohan Singh Rana	Darmet	9837403340	[signature]

28	भाव सिंह	बाड़वाला		भावसिंह
29	संदीप चौहान	बी॰डी॰सी॰ कालसी		[illegible]
30	आनन्द सिंह तोमर प्रधान ग्रामसभा	लौंघा	9458126968	[illegible]
31	देवपाल सिंह रावत प्रधान	तौली	9410993053	[illegible]
32	रेशमी देवी प्रधान	पपडियान	7579154180	[illegible]
33	विकास तोमर	हडोवाल	9410572062	Vicky
34	अक्षय तोमर	बाड़वाला	9917516676	अक्षय
35	मनोज रावत	बाड़वाला	7895050284	M.rawat
36	जीतसिंह नेगी	बाड़वाला	9411751089	[illegible]
37	विरेन्द्रसिंह बडवाल	हडोवाली	96[illegible]27234780	[illegible]
38	Sandup Tamz	Katapathar	7895249094	[illegible]
39	दौलतराम	डौह	9319000459	Daulat
40	नारायणदत्त जोशी	कुकटे	9411527643	[illegible]
	हरपालसिंहतोमर अध्यक्ष	यमुना स्वच्छता समिति कटापत्थर	9410592246	[illegible]
41	Mahendra Tomar	Hardowala	9411751086	[illegible]
42	Nirmal Tomar	Dumet	8126221378	[illegible]
43	Sohan Singh	Hardwala	99972332805	[illegible]

	दयाल सिंह	वार्ड/मला	—	दयालसिंह
~~43~~ 44				
45	गजेन्द्र शर्मा	डुमेट	—	Gaur
46	खजान शर्मा	डुमेट	—	खजानसिंह
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				